रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223110
CG-DL-E-17112020-223110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
No. 489] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2020

आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.066.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में विनियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**2क. वित्तीय लेनदार द्वारा व्यतिक्रम का अभिलेख या साक्ष्य**

वित्तीय लेनदार, संहिता की धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए व्यतिक्रम का निम्नलिखित में से कोई अभिलेख या साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 18) की धारा 2 के खंड (3) में यथा-परिभाषित बैककार की बही में सुसंगत लेखे में की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति;

(ख) किसी ऐसे न्यायालय या अधिकरण का कोई आदेश, जिसने किसी ऋण के अप्रतिदाय के संबंध में न्यायनिर्णयन किया है और जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने की अवधि का अवसान हो गया है ।"।

3. मूल विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(गक) बोर्ड के इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर, उसकी बैवसाइट पर प्रसारण के लिए फाइल की जाएगी:

परन्तु यह खंड भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् चालू और प्रारंभ होने वाली प्रत्येक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू होगा;"।

4. मूल विनियमों के विनियम 39 में, उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5क) समाधान व्यावसायिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समाधान योजना का अनुमोदन करने वाले आदेश के पन्द्रह दिन के भीतर प्रत्येक दावेदार को समाधान योजना के अधीन ऋणों के संदाय के लिए, यथास्थिति, सिद्धांत या फार्मूला सूचित करेगा:

परन्तु यह विनियम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् चालू और प्रारंभ होने वाली प्रत्येक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू होगा;"।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन.-III/4/असा./347/2020-21]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 317, तारीख 7 अगस्त, 2020 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.064, तारीख 7 अगस्त, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2020.

No. IBBI/2020-21/GN/REG 066. —In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), after regulation 2, the following regulation shall be inserted, namely:-

"**2A. Record or evidence of default by financial creditor.**
For the purposes of clause (a) of sub-section (3) of section 7 of the Code, the financial creditor may furnish any of the following record or evidence of default, namely:-

(a) certified copy of entries in the relevant account in the bankers' book as defined in clause (3) of section 2 of the Bankers' Books Evidence Act, 1891 (18 of 1891);

(b) an order of a court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of a debt, where the period of appeal against such order has expired.".

3. In the principal regulations, in regulation 13, in sub-regulation (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ca) filed on the electronic platform of the Board for dissemination on its website:

Provided that this clause shall apply to every corporate insolvency resolution process ongoing and commencing on or after the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2020;".

4. In the principal regulations, in regulation 39, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(5A) The resolution professional shall, within fifteen days of the order of the Adjudicating Authority approving a resolution plan, intimate each claimant, the principle or formulae, as the case may be, for payment of debts under such resolution plan:

Provided that this sub-regulation shall apply to every corporate insolvency resolution process ongoing and commencing on or after the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2020;".

Dr. M. S. SAHOO , Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./347/2020-21]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2020 published *vide* notification No. IBBI/2020-21/GN/REG 064, dated the 7th August, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 317 on 7th August, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.17 22:32:42 +05'30'